

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 22 मार्च, 2011

विषय : दैवी आपदा राहत कार्य के विभिन्न मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1742/मु०रा०ले०-दै०आ०, दिनांक 07.03.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दैवी आपदा राहत कार्य के विभिन्न मदों में व्यय हेतु रुपये 44,80,769.00 (चावालिस लाख साठ हजार सात सौ उन्हत्तर रुपये मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नानुसार प्रदान करते हैं :-

- | | |
|--|-------------|
| 1. वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु रू० | 7,769/- |
| 2. वित्तीय वर्ष 2010-2011 में दैवी आपदा राहत कार्य हेतु टैकरों के परिचालन हेतु | 44,23,000/- |
| 3. लेखन सामग्री/फार्म छपाई के मद में | 10,000/- |
| 4. कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी मद में | 10,000/- |
| 5. कार्यालय व्यय मद में | 10,000/- |

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक -विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- आपदा राहत निधि से स्वीकृति उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि आवंटित न हुई हो।

4- आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार व्यय का विवरण शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करा दिया जाये तथा व्यय धनराशि राहत आयुक्त की वेबसाइट पर फीड किया जाना सुनिश्चित किया जाये। यदि शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से बचतें सम्भावित हों तो उसे शासन को तत्काल समर्पित कर दिया जाये।

5- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाये।

भवदीय,


(के.के. सिन्हा)

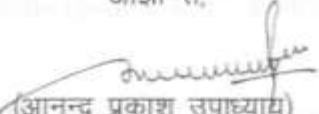
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या एवं दिनोंक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त मिर्जापुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, सोनभद्र।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव, राजस्व